कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस नोट,जनपद फतेहपुर

दिनांक 15.11.2026

थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में प्रकाश में आए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से लूट की रकम बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 04.07.2026 की रात्रि लगभग 10:30 बजे वादी सुनील कुमार पुत्र कृष्णपाल एवं उनके पारिवारिक चाचा दिग्विजय सिंह पुत्र रामशरण सिंह निवासी ग्राम गूंझी, थाना कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर कानपुर से मोटरसाइकिल द्वारा अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में चन्दनपुर गांव के पास नहर की पटरी पर मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल रोककर गिरा दिया गया तथा दोनों व्यक्तियों के पास मौजूद मोबाइल फोन, पर्स एवं अन्य सामान छीन लिया गया। पर्स में कुल 900 रुपये नकद, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एवं विभिन्न बैंकों के 05 एटीएम कार्ड थे। छीने गए मोबाइल फोन में एक OPPO A76 एवं दूसरा SAMSUNG GALAXY A04e कंपनी का था। घटना रात्रि में अंधेरा होने के कारण वादी एवं उनके साथी अभियुक्तों की पहचान नहीं कर सके।
उक्त घटना के संबंध में दिनांक 05.07.2026 को वादी द्वारा थाना कल्यानपुर पर उपस्थित होकर लिखित तहरीर देकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना की गई, जिसके आधार पर थाना कल्यानपुर पर मु0अ0सं0 0157/2026 धारा 309(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/ वारंटियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी बिंदकी के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक- 14.11.2026 को थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0157/2026 धारा 309(4)/ 317(2) बीएनएस की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त 1. असगर अली उर्फ अरमान पुत्र नसीर अहमद, निवासी- ग्राम चन्दनपुर मजरे गुनीर, थाना कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर (उम्र करीब 23 वर्ष) को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से लूट की घटना से संबंधित 250 रुपये बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 15.11.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्त असगर अली उर्फ अरमान ने बताया कि लगभग 03-04 माह पूर्व जुलाई माह के शुरुआती दिनों में वह अपने साथी सौरभ सोनकर उर्फ ढिल्लन एवं मो0 यासीन उर्फ टीना के साथ मुरादीपुर चौराहे स्थित शराब के ठेके से शराब खरीदकर लाया था। इसके बाद तीनों लोग मो0 यासीन की अपाचे मोटरसाइकिल से चन्दनपुर से गूंझी जाने वाले मार्ग पर नहर के किनारे पहुंचे, जहां बैठकर शराब पीने लगे। इसी दौरान रात्रि करीब 09-10 बजे चन्दनपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। इन तीनों ने उन्हें धमकाकर रोक लिया तथा मारपीट कर भयभीत करते हुए उनके पास मौजूद 02 मोबाइल फोन एवं 01 पर्स छीन लिया। घटना के बाद तीनों मो0 यासीन की अपाचे मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए। अभियुक्त ने आगे बताया कि छीने गए पर्स में करीब 900 रुपये मिले थे, जिनमें से 500 रुपये उसने स्वयं रख लिए तथा शेष 400 रुपये मो0 यासीन उर्फ टीना को दे दिए थे। वहीं, छीने गए दोनों मोबाइल फोन अच्छे दामों में बेचने के लिए सौरभ सोनकर उर्फ ढिल्लन को दे दिए थे।

अभियुक्त के अनुसार, उसके कब्जे से बरामद 250 रुपये उक्त लूट की घटना में मिले रुपयों में से बचे हुए हैं।

इस घटना से संबंधित अभियुक्त असगर अली उर्फ अरमान को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. असगर अली उर्फ अरमान पुत्र नसीर अहमद, निवासी- ग्राम चन्दनपुर मजरे गुनीर, थाना कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर (उम्र करीब 23 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण-

लूट की घटना से संबंधित 250 रुपये बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 विवेक कुमार
3. रि0का0 साहिल मौर्या
4. का0 शिवसिंह

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर